भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES COURT FEE

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

264

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़ निग - 1615 - I - 16

1– केहर सिंह पुत्र श्री विन्द्रावन यादव

2– दीनदयाल पुत्र श्री रामसहाय यादव

3– रामस्वरूप विश्वकर्मा पुत्र श्री मख्खन विश्वकर्मा

4– जयराम पुत्र श्री अमान

5– मनसुख पुत्र श्री ननसाई

निवासीगण– ग्राम पलेरा, तहसील पलेरा, जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

श्री ...... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 25.5.16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

2– मथुरा प्रसाद पुत्र श्री हल्के यादव, निवासी ग्राम मुरीहा बाबा, तहसील पलेरा, जिला टीमकगढ़ (म0प्र0)

...... अनावेदकगण

25/5/16

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2013 एवं अतिरिक्त तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–19(4) 87–88 में पारित आदेश दिनांक 15.02.88 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, ग्राम पलेरा खास में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 860/1, 862/1 ख, 878/2, 1971/2 रकवा क्रमांक 0.093, 0.043, 0.081, 0.024 एवं 0.178 हैक्टेयर का अवैध आवंटन अनावेदक क्रमांक 2 को किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में किया गया आबंटन विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यहकि, तहसील न्यायालय द्वारा जो आबंटन किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और ना ही पट्टाग्रहिता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1615-एक/2016 जिला टीकमगढ़ केहर विरूद्ध शासन व मथुरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019 16.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 31/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-04-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 16.01.19
सदस्य